

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व आदेश हुकम को में जारी</p>
<p>2872</p> <p>7-8-20</p>	<p>उभय पक्ष नुसार पक्षीन अधिकारी राजकीय कार्य से सम्बन्धित है, अदालत पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7-8-20 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p> <p>पत्रावली पेश हुई ककील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण के सम्मन बाप शामिल होकर प्रालत हुए जिसे शा-प किया गया। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तवा आवाजे दिलायी जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तत्सिलपार मांडल से भौका जाय रिपोर्ट प्रालत हुई जिसे शा-प किया गया, प्रकरण में पूर्व में सीमा जान नहीं करया, ककील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रथक से लिखा जाकर शा-प किया गया। पत्रावली कैलकुलेशन होकर नम्बर से कम है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भोलवाड़ा</p>	



राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

मसीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

दिना संख्या - 11/20 प्रा.पत्र

श्री रामुन्द्रनाथजी श्री केशु नाथ जोगी निवासी - दांता कला, तहसील, माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री अर्जुनदाजी पटना जाट निवासी - दांता कला तहसील - माण्डल

श्री नारायणदाजी देवी कौरवा निवासी - दांता कला तहसील - माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दांता कला पटवार हल्का दांता कला तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1578/744 कुल किता 01 रकबा 02 बीघा — विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.02.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दांता कला पटवार हल्का दांता कला तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1578/744 कुल किता 01 रकबा 02 बीघा — विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा